रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एन0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 सितम्बर, 1991/16 भाद्रपद, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जुलाई, 1991

सं0 एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी(16)-1/91.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए "दि हिमाचल प्रदेश फैक्टरीज (कन्ट्रोल आफ डिस्मैन्टलिंग) ऐक्ट, 1973 (1974 का 6)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र; हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश कारखाना (उद्ध्वस्त नियंत्रण) अधिनियम, 1973

(1974 का 6)

(31-3-1991 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में कारखानों के उद्ध्वस्त के नियंत्रण के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कारखाना (उद्ध्वस्त नियन्त्रण) अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम, में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) कारखाने को "उद्ध्वस्त करने" से अभिप्रेत है, कारखाने की मशीनरी या मशीनरी के भाग को इस की स्थिति से हटाना जिसके ऐसे हटाए जाने से कारखाना इस के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः अनुपयोगी हो जाता है ; किन्तु कारखाने के परिसर के भीतर समायोजन, सफाई और मुरम्मत जैसे प्रयोजनों के लिए मशीनरी या मशीनरी के भाग को अस्थाई रूप से हटाया जाना इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ख) "कारखाना" से, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है और लघु उद्योग इकाई जिसका पूंजीगत विनिधान सात लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को विचार में लाए बिना इसके अन्तर्गत है ;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में "पूंजीगत विनिधान" से केवल संयंत्र और मशीनरी में विनिधान अभिप्रेत है ;

(ग) "मशीनरी" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में उस शब्द के लिए नियत है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में उचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ; और

(ङ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

कारखाने को उद्ध्वस्त करना ।

3. (1) कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार या इस निमित्त उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित अनुमति के बिना किसी कारखाने को उद्ध्वस्त नहीं करेगा या कारखाने की मशीनरी को ठीक बनाए रखने के लिए रखे गए किन्हीं अतिरिक्त पुर्जों को नहीं हटायेगा ।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, कारावास

से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

निगम द्वारा अपराध ।

4. यदि धारा 3 की उप-धारा (1) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम्पनी या अन्य निगमित निकाय है, तो उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक या सचिव अथवा अन्य अधिकारी या एजेण्ट, ऐसे उल्लंघन का दोषी माना जायेगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया है ।

प्रवेश परीक्षण, साक्ष्य आदि लेने की शक्तियां ।

5. (1) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति ने धारा 3 की उप-धारा (1) के किन्हीं उपबन्धों का स्थानीय परिसीमाओं के भीतर जिसके लिए उसे ऐसे प्राधिकृत किया है, उल्लंघन किया है तो वह,—

(क) राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से यदि कोई हो), जैसी वह उचित समझे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) उस स्थान का और उसमें किसी मशीनरी, किताबों या दस्तावेजों का ऐसा परीक्षण कर सकेगा और उसी स्थान पर या अन्यत्र किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य ले सकेगा, जैसा वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझ ;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी आवश्यक हो :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी से भी, उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखने वाले किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को उस उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से जानबूझ कर बाधा डालता है या उसकी अभिरक्षा में किसी किताब या दस्तावेज को मांगने पर पेश करने या सूचना के लिए किसी मांग का पालन करने में असफल रहता है या जानबूझ कर अथवा बिना सोचे विचारे ऐसे अधिकारी को किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या कथन करता है, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

6. इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार द्वारा या, राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी के सिवाय, संस्थित नहीं किया जायेगा ।

विधिक कार्यवाहियों का वर्जन ।

7. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

8. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

(क) धारा 3 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा देने के लिए प्रक्रिया ;
(ख) धारा 3 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा देने से इन्कार के विरुद्ध अपील के लिए, जब ऐसी इन्कारी उस धारा के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा है ; और
(ग) उस रीति को विनियमित करने के लिए जिसमें धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

9. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब फैक्ट्रीज (कण्ट्रोल आफ डिसमैण्टलिंग) ऐक्ट, 1948 (1948 का 20) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : निरसन और व्यावृत्ति ।

परन्तु उक्त अधिनियम द्वारा या उस के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात, कोई कार्रवाई या प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई या प्रारम्भ की गई समझी जायेंगी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित